



दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
01) $\frac{12}{2020}$	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक गंगाराम सिंह कुदादा, पिता-स्व0 बोंता कुदादा, ग्राम-चिमीहातु, थाना-मुफसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने मौजा-डिलियामार्चा, थाना नं0-108, खाता नं0-44, प्लॉट नं0-2705, कुल रकवा- 0.07½ एकड़ भूमि क्रेता मंगल सिंह कुदादा, पिता-कृपा सिन्धु कुदादा, ग्राम-बादुडी, टोला बाईहातु, थाना-मुफसिल के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के नाम पर नामान्तरण मु0 सं0-422/2018-19 के द्वारा नामांतरित है तथा पंजी II का रैयत है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-1078,दिनांक-22.10.2020 के द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान निर्माण हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता-मंगल सिंह कुदादा, पिता-कृपा सिन्धु कुदादा, ग्राम-बादुडी,टोला बाईहातु, थाना-मुफसिल के पास बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना मुफसिल के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुज्ञा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के फ़्यात आवेदक के पास शेष 2.07½ एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।</p> <p>अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुज्ञा के आलोक में आवेदक गंगाराम सिंह कुदादा, पिता-बोंता कुदादा, ग्राम-चिमीहातु, थाना-मुफसिल, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा क्रेता मंगल सिंह कुदादा, पिता-कृपा सिन्धु कुदादा, ग्राम-बादुडी, टोला बाईहातु, थाना-मुफसिल के पास जमीन को कुल 3,30,000.00/- (तीन लाख तीस हजार) रूपये में मौजा-डिलियामार्चा, थाना नं0-108, खाता नं0-44, प्लॉट नं0-2705, कुल रकवा- 0.07½ एकड़ जमीन बिक्री करने हेतु छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।</p> <p>लेखापित    भूमि सुधार उपसमाहर्ता  सदर चाईबासा।</p> <p>   भूमि सुधार उपसमाहर्ता  सदर चाईबासा।</p>	